

[Faint header text]

21-3-18

पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यक्षेत्र बाहर दौरे में तथारीफ रखते हैं। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेंस पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 19-4-18 को पेश है।

राजस्थान लोक अदालत अधिनियम, 2018
 न्याय आयोग द्वारा,
 उपखण्ड न्यायाधीश/राजस्थान, अजमेर

17-5-2018

पत्रावली द्वाज्याय लोक अदालत अधिनियम 2018, मुल्त्यायल ग्राम पंचायत मुल्त्यायल नगर। पत्र वेथ हुई बादी व प्रार्थवादी सभ। वेथ लग्गील नोदध हाजिर आगे बादी व प्रार्थवादी सभ। द्वारा जाहेर किया कि प्रकरण आगे नही चलाना चाहते हैं। बादी व प्रार्थवादी सभ। की सहमति से प्रकरण खारिज किया जा रहा है बादी व प्रार्थवादी सभ। के हस्ताक्षर सहमति पत्रावली करवाये गये पत्रावली फाइल होकर नम्बर से काम होकर कार्यकाल बन्द है।

Memo
 पत्रावली

[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी
 न्यायाधीश (पुन्या)

[Faint footer text]